न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 239/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00392)

1. कजोड पुत्र कालू जाति मीना निवासी ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 रामी पुत्री केसरा पत्नि मोतीलाल,
2. मु0 राजन्ती पुत्री केसरा पत्नि सुखलाल,
   समस्त जाति मीना निवासी ग्राम चोण्डियावास तहसील लालसोट जिला दौसा।
3. मु0 लाली पत्नि स्व0 केसरा जाति मीना निवासी ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार तहसील लालसोट जिला दौसा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा निर्णय दिनांक 20.08.2019 बअपील संख्या 20/14 उनवानी कजोड बनाम रामी आदि पर पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री राकेश जैमन, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री अशोक बटवाल, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
4. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 25.03.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 20.08.2019 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 21.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल अपीलान्ट कजोड पुत्र कालू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष एक अपील बाबत नामान्तरकरण संख्या 1539 स्वीकृत दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट, जिला दौसा की पेश की गई कि अपीलान्ट के हक व आधिपत्य की भूमि आराजी खसरा नं. 48 रकबा 24 बीघा 4 बिस्वा ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त आराजी के सम्बन्ध में अपीलान्ट व उसके परिवारजन के अन्य सदस्यगण द्वारा एक वाद पत्र पूर्व में उपखण्ड अधिकारी लालसोट के न्यायालय में उनवानी कालू बनाम केसरा के नाम से विचाराधीन है। इसी वाद पत्र में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा उक्त आराजी को रहन, बय, हस्तान्तरण एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमा रखे है जो आज दिनांक तक वजूद में है तथा अपीलान्ट व उसके परिवारजन ही सैकडों वर्षों से उक्त आराजी पर काश्त कर पुख्ता मकान, कूप कोठी बनाकर उक्त आराजी का उपयोग करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी में मृतक केसरा जो कि तथाकथित तौर पर राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड जमाबंदी में रहा जिसके विरूद्ध अपीलान्ट व उसके पिता कालू व अन्य परिवारजनों की ओर से दावा उनवानी कालू बनाम केसरा उप जिलाधीश लालसोट में आज दिनांक तक लम्बित है तथा इस बाबत विभिन्न राजस्व न्यायालयों में उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद विचाराधीन होकर मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश भी जारी होकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज शुदा है। किन्तु न्यायालय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार लालसोट के द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण दिनांक 26.05.2014 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के हक में बावजूद स्थगन नोट के स्वीकृत कर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1539 ग्राम निर्झरना, तहसील लालसोट दिनांक 26.05.2014 को निरस्त किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2019 द्वारा अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 20.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट कजोड़ पुत्र कालू द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2019 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय विधि, प्रक्रिया, नियम, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत क्षेत्राधिकार का सम्यक उपयोग किये बिना पारित किये जाने के कारण खण्डनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट की ओर से निवेदन किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण आदेश रेस्पो० से मिलकर वाद के विचाराधीन रहते व वाद में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रचलित होते हुए तस्दीक किया है जो विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में लागू होना नही मानकर अपनी न्यायिक अक्षमता का परिचय दिया है। अतः प्रश्नगत निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय मे विवेचन किया गया है कि नामान्तरकरण एक फिसकल (त्वरित) कार्यवाही है जिसमें किसी के हक तय नही होते है कानूनन विरासत का नामान्तरकरण विचाराधीन वाद अथवा स्थगन आदेश से प्रभावित नही होता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रकरण पर चस्पा नही होती है। न्यायालय द्वारा किया गया उक्त विवेचन विधि के प्रतिकूल है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों मे प्रतिपादित सिद्धान्त को बिना समझे उक्त निष्कर्ष पारित किया गया है अतः प्रश्नगत निर्णय खण्डनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष उनके द्वारा इसी विषय वस्तु के संबंध में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 3/2015 मे इस ही अपील के साथ किये गये इसी दिन के निर्णय से विरोधाभासी है। रेस्पो० ने नामान्तरकरण अपने पक्ष में करवाकर भूमि वादग्रस्त का विक्रय ओमप्रकाश के नाम कर दिया जिसके कारण अपीलांट के हक अधिकार प्रभावित हुए है। वाद सन् 1988 से विचाराधीन है न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की तहसीलदार एवं अधीनस्थ न्यायालय ने परवाह नही की है तथा विधिक निर्णय के विपरीत रेस्पो० के साथ पक्षपात कर प्रश्नगत निर्णय पारित कर विधिक एवं न्यायिक सिद्धान्तों की अवहेलना की है। अतः प्रश्नगत निर्णय खण्डनीय है।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपील मे बहस सुनने के बाद निर्णय नही सुनाया। अपीलांट द्वारा निर्णय के संबंध मे जानकारी अपने वकील से करने पर उनके द्वारा निर्णय पारित नही होने का तथ्य अवगत कराया गया इसके बाद लोकडाउन के कारण न्यायालय मे न्यायिक कार्य प्रायः बंद रहा। दिनांक 07.09.2020 को क्रेता द्वारा वादग्रस्त भूमि के राष्ट्रीय राजमार्ग मे अवाप्त भू भाग का मुआवजा उठाने की जानकारी होने पर दिनांक 08.09.2020 को प्रकरण की तलाश करवाकर दिनांक 10.09.2020 को नकल प्राप्त की है इस प्रकार अपील मे हुए विलम्ब सकारण एवं काबिले माफी है देरी को माफ करवाने हेतु

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आवेदन प्रस्तुत है जिसे स्वीकार फरमाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2019 को खारिज फरमाये जाने की कृपा करें।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि तहसीलदार लालसोट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला दौसा के विरासत का नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिस्कल प्रोसिडिंग है। कानूनन विरासत का नामान्तरकरण विचाराधीन वाद अथवा स्थगन से प्रभावित नहीं होता है। अपीलान्ट का दावा दिनांक 02.12.2014 को खारिज हो गया। उक्त आराजी पर इनके कब्जे है एवं मकान बने हुए है। किसी का भी अगर अधिकार प्रभावित होता है तो दावा किया जाता है ना कि नामान्तरकरण की अपील की जाती है। नामान्तरकरण विरासत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र और न्यायालय के निर्णय से स्वीकृत किया जा सकता है। नामान्तरकरण प्रक्रिया से अधिकार विनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपीलान्ट के विवादित भूमि में अगर कोई हक बनते है तो नामान्तरकरण से नहीं दावे से तय कराये जा सकते हैं। विरासत का नामान्तरकरण आर.ए.ए. के आर्डर से खुला है। अपीलान्ट का दावा खारिज हो चुका है। अपीलान्ट को नामान्तरकरण की अपील महज कब्जे के आधार पर कराने का कोई हक नहीं है।

अपीलार्थीगण द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील धारा 96 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत की गयी थी। प्रश्नगत नामान्तकरण एवं अपीलाधीन आराजी मे अपीलार्थीगण का किसी प्रकार का कोई स्वत्व, हक हकूक, खातेदारी अधिकार निहित नही है जिसके कारण उन्हे ना तो अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष ना ही इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार ही प्राप्त है ऐसी दशा मे उक्त अपील प्रारम्भिक रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा भी प्रार्थना पत्र अ०धारा 96 सी.पी.सी. पर किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया न ही उक्त अपील प्रस्तुत करने की कोई इजाजत ही दी गई ऐसी दशा में अपीलार्थी को विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है अथवा नही, बाबत कानूनी बिन्दु प्रारम्भिक रूप से निस्तारित करते हुए अपीलार्थी की उक्त अपील प्रारम्भिक रूप से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट के समक्ष मात्र कब्जे के आधार पर अधिघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है जो लम्बित है। कानूनन कब्जे के आधार पर राजस्व न्यायालय को किसी प्रकार की अधिघोषणा अथवा अन्य अनुतोष प्रदान करने का कोई क्षेत्राधिकार भी नही है ऐसी दशा में अपीलार्थी का उक्त वाद बोगस है, कानूनन चलने योग्य नही है तथा उक्त वाद में अभी अपीलार्थी के विधिक अधिकार निर्णित किया जाना शेष है। ऐसी दशा में भी जबकि अपीलार्थीगण के विधिक अधिकार निर्णित नही किये गये हो उससे पूर्व विवादित नामान्तरकरण के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई चाराजोही अथवा अपील करने का कोई कानूनी अधिकार अपीलार्थी को प्राप्त नही होता है जिसके फलस्वरूप भी उक्त अपील कानूनन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस सुने जाने के उपरान्त नियत दिवस दिनांक 20.08.2019 को अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता के समक्ष खुले न्यायालय मे उक्त निर्णय सुनाया गया था जिसकी अपीलार्थी एवं उसके अधिवक्ता को प्रारम्भ से ही पूर्ण जानकारी रही है। उक्त वस्तु स्थिति को छिपाते हुए तथा न्यायालय की आदेशिका जिनके सत्य होने का प्रजम्शन लिया जाता है, को भी झुठलाने की नियत से प्रेरित होकर असत्य तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त अपील एक वर्ष से भी अधिक समयावधि के अकारण विलम्ब से असत्य तथ्यों पर उक्त मियाद बाहर अपील

जानबूझकर प्रस्तुत की है तथा उक्त अपील एवं उक्त प्रार्थना पत्र मे विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण भी वर्णित नही किया गया है। जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण उक्त एक वर्ष की लम्बी समयावधि की मियाद बाहर अपील को किसी भी प्रकार से अन्दर मियाद कानूनन नही ले सकते है। उक्त प्रार्थना पत्र देरी का कोई संतोषजनक कारण नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद प्रस्तुत कर नम्र निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाते हुए उक्त उनवानी अपील को भी मियाद बाहर मानते हुए निरस्त फरमाये जाने की कृपा करे।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरानें बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 20.08.2019 पारित किया गया है। जो विधिक प्रावधानों के अनुसार ही पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 07.09.2020 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पक्षकारों में विवाद प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 को हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के नाम स्वीकृत करने को लेकर है। प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 खातेदार केशरा पुत्र नानगाराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान पुत्री रामी, राजन्ती एवं लाली देवी पत्नि केशरा के नाम तहसीलदार लालसोट द्वारा राजस्व स्थगन नोट के दौरान स्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील के संलग्न दस्तावेजों का अधीनस्थ न्यायालय का अवलोकन नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी ग्राम निर्झरना पटवार हल्का निर्झरना तहसील लालसोट के खसरा नम्बर 48 रकबा 24.04 है0 में जारी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 27.05.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विवादित भूमि में 3 स्थगन नोट का अंकन किया हुआ है। जिसमें रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश का भी अंकन किया गया है। जमाबन्दी में स्थगन का नोट अंकित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 द्वारा खातेदार केशरा पुत्र नानगाराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान पुत्री रामी, राजन्ती एवं लाली देवी पत्नि केशरा के नाम स्वीकृत किया गया है।

हमारा विनम्र मत है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 तस्दीक किये जाने तक विवादग्रस्त भूमि पर जमाबन्दी में रिकॉर्ड की यथास्थिति के स्थगन आदेश प्रभावी थे। तहसीलदार लालसोट ने उक्त विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किये गये हैं। विवादित भूमि पर स्थगन आदेश होने के बावजूद भी राजस्व रिकॉर्ड में कोई भी परिवर्तन किया जाता है वह न्यायिक दृष्टि से प्रभाव शून्य माने जाने योग्य है। अपीलान्ट उक्त विवादित भूमि पर अधिकार मानता है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

1955 की धारा 88, 89 में खातेदारी हेतु दावा करना चाहिये। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के संबंध में जो भी अधिकार तय होने है वे दावे में ही तय हो सकते हैं। अपीलान्ट को अपने प्रश्नगत भूमि में अधिकार चाहिये तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना, पटवार हल्का निर्झरना भू.अभिलेख निरीक्षक लालसोट, तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा खातेदार केशरा पुत्र नानगाराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान पुत्री रामी, राजन्ती एवं लाली देवी पत्नि केशरा के नाम स्वीकृत किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लालसोट ने नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना, पटवार हल्का निर्झरना भू.अभिलेख निरीक्षक लालसोट, तहसील लालसोट जिला दौसा द्वारा खातेदार केशरा पुत्र नानगाराम के फौत हो जाने पर उसके वारिसान पुत्री रामी, राजन्ती एवं लाली देवी पत्नि केशरा के नाम स्वीकृत किये जाने से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.08.2019 पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2019 व तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना, पटवार हल्का निर्झरना भू.अभिलेख निरीक्षक लालसोट, तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति एवं पक्षकारों के मध्य वाद व दावे की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर निर्णयानुसार कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

अतः आदेश है कि – अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.08.2019 व तहसीलदार लालसोट जिला दौसा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1539 दिनांक 26.05.2014 ग्राम निर्झरना, पटवार हल्का निर्झरना भू.अभिलेख निरीक्षक लालसोट, तहसील लालसोट जिला दौसा को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज स्थगन आदेश की वर्तमान स्थिति एवं पक्षकारों के मध्य वाद व दावे की वर्तमान स्थिति प्राप्त कर निर्णयानुसार कार्यवाही करने एवं न्यायिक सिद्धान्तों की पालना सुनिश्चित करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर एवं समरी जॉच पश्चात् प्रकरण में पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर